

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2025

सं. 02/2025 – केंद्रीय कर

सा.का.नि. 23(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है-

- (i) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, दिसंबर 2024 माह के लिए, 22 जनवरी, 2025 तक:
- (ii) धारा 39 की उपधारा (1) का परंतुक, अक्तूबर, 2024 से दिसंबर, 2024 की तिमाही के लिए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित पंजीकृत व्यक्तियों के श्रेणी के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख तक, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	पंजीकृत व्यक्ति की श्रेणी	नियत तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	पंजीकृत व्यक्ति जिनका व्यवसाय का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में है।	24 जनवरी, 2025
2.	पंजीकृत व्यक्ति जिनका व्यवसाय का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या ओडिशा राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में है।	26 जनवरी, 2025

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/10/2024-जीएसटी]

रौशन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2025

No. 02/2025 – CENTRAL TAX

G.S.R. 23(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return in FORM GSTR-3B electronically, through the common portal, by the registered persons, as specified under-

- (i) sub-section (1) of section 39, for the month of December 2024, till twenty-second day of January, 2025:
- (ii) proviso to sub-section (1) of section 39, for the quarter of October, 2024 to December, 2024, for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table given below, till the date mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

TABLE

S. No.	Class of registered persons	Due Date
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	Twenty-fourth day of January, 2025
2.	Registered persons whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha, the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh or Delhi.	Twenty-sixth day of January, 2025

[F. No. CBIC-20001/10/2024-GST]

RAUSHAN KUMAR, Under Secy.